न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण)
जयपुर महानगर, द्वितीय

पीठासीन अधिकारी :– आशुतोष कुमावत,
(राज.न्या.सेवा) (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन विचारण प्रकरण संख्याः– 58/2021

सी.आई.एस. संख्या :– 191/2021

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर महानगर, द्वितीय।

अभियोगी

बनाम

बीरबल शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा, निवासी–मकान नं. 06, राधा विहार, निवारू लिंक रोड, थाना करधनी, जयपुर।

अभियुक्त

अपराध धारा 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति :–

1. राज. राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद कसंवा।

अपराध की दिनांक	अक्टूबर 2017 एवं उसके पश्चात् कई बार
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	299 दिनांक 02.04.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	10.08.2021
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	20.09.2021
साक्ष्य शुरू करने की दिनांक	03.09.2022
दिनांक, जिस दिन से निर्णय रिजर्व रखा गया	29.10.2025
निर्णय की दिनांक	01.11.2025
सजा आदेश की दिनांक, यदि कोई हो तो	–

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक/आत्मसर्मपण की दिनांक	जमानत पर आजाद होने की दिनांक	अपराध जिनका आरोप लगाया गया है	चाहे बरी कर दिया गया हो या दोषी ठहराया गया हो	सुनाई गई सजा	धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान हिरासत में ली गई अवधि
1.	बीरबल शर्मा	25.04. 2021	13.07. 2021	376(2)(एन) भा.द.सं.	बरी	—	25.04.2021 से 13.07.2021 तक

—:: <u>निर्णय</u> ::— **दिनांक 01.11.2025**

1. उक्त प्रकरण धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है, इसलिए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 327 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए और पीडिता को उक्त अपराध के सामाजिक शिकार से रोकने के लिए एवं सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत State of Karnataka Vs. Puttaraja S.C. Appeal Criminal No. 506/1997, Date of Judgment 27-11-2003 में पारित किये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार अभियोक्त्री/पीड़िता को स्वयं के नाम से सम्बोधित नहीं किया जा रहा है बल्कि उसके स्थान पर पीडिता के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय B.S.Hari Commdt. v/s Union of India (2023 Live Law (sc) 303;2023 Supreme(sc) 359) के अनुक्रम में 'विषय सूची—निर्णय' मय पृष्ठ संख्या निम्नानुसार है :—

S.No.	Subject	Page/s
1	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य	3 से 3
2	प्रकरण में की गई कार्यवाही	3 से 6
3	अवधारणीय बिन्दू	6 से 6
4	पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य	6 से 20
5	पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्क	20 से 21
6	अवधारणीय बिन्दूओं पर न्यायालय का विनिश्चय	21 से 30
7	निष्कर्ष	30 से 30

8	आदेश	31 से 31

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.04.2021 को पीडिता द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना करधनी, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक पर्चा बयान प्रदर्श पी–01 इस आशय का दर्ज करवाया कि अक्टूबर 2017 में वह प्लॉट नं. 5, राधे विहार कॉलोनी, निवारू लिंक रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर पर 7.00 पीएम पर अकेली थी, तभी उनका पडौसी बीरबल शर्मा आया और आते ही गेट अन्दर से बंद कर लिया और कहा कि उसके पास चाकू व ब्लेड है, जेब से चाकू निकालकर उसकी गर्दन की तरफ किया और शारीरिक संबंध बनाने अन्यथा जान से मारने की धमकी देकर उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया, मोबाईल में उसकी फोटो व वीडियो क्लीप बना ली। दिनांक 09.03.2019 को उसकी शादी अभिषेक शर्मा के साथ हो गयी। अभियुक्त उसे मैसेज करता और उसे फोन करने को कहता व पति को जान से मारने व घर बर्बाद करने, फोटो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था। दो बार गर्भवती होने पर अभियुक्त द्वारा उस पर गर्भपात का दबाव बनाया जिसके कारण वह डिप्रेशन में रहने लगी, जिससे उसका गर्भपात हो गया, जिसका ईलाज तहसील रेनवाल अस्पताल में हुआ। अक्टूबर 2019 में अभियुक्त उससे गलत नियत से मिलने के लिये ससुराल आया लेकिन घर में सास होने की वजह से वापिस चला गया। मानसिक तनाव में आकर उसके द्वारा दिनांक 22.03.2021 को ससुराल में फिनाईल की बोतल पी ली, जिसके बाद मम्मी–पापा को उसने घर पर सारी घटना बताई, आदि आदि।

प्रकरण में की गई कार्यवाही :–

4. उक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी–01 के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना करधनी, जयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 299/21 अन्तर्गत धारा 376 भा.द.सं. में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

5. बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस द्वारा दिनांक 10.08.2021 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. में आरोप पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, तत्पश्चात् प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण

दर्ज रजिस्टर किया गया।

6. बहस चार्ज सुनी गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) में आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने से अभियुक्त को उक्त धारा के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

7. अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित गवाहान/दस्तावेजात पेश कर आरोपित अपराध बाबत् अभियोग प्रस्तुत किया :–

क्र.सं.	साक्षी संख्या	परीक्षा की तिथि	साक्षी का विवरण	साक्ष्य का प्रकार
01.	पी.ड.–01	03.09.2022	पीडिता	स्वयं पीडिता
02.	पी.ड.–02	03.09.2022	डॉ. ज्योति सैनी चिकित्सकीय साक्षी	पीड़िता का दुष्कर्म संबंधी मेडिकल करने वाली चिकित्सक
03.	पी.ड.–03	13.01.2023	डॉ. अजय श्रीवास्तव चिकित्सकीय साक्षी	अभियुक्त का बलात्संग करने संबंधी चिकित्सकीय परीक्षण करने वाला चिकित्सक
04.	पी.ड.–04	13.01.2023	रोहिताश, अनुसंधान साक्षी	फर्द गिरफ्तारी का गवाह
05.	पी.ड.–05	18.05.2023	विनोद कुमार शर्मा महत्वपूर्ण साक्षी	पीडिता का पिता
06.	पी.ड.–07	17.08.2023	योगेन्द्र सिंह अनुसंधान साक्षी	प्रदर्श पी–9 का गवाह
07.	पी.ड.–08	13.09.2023	धानी यादव महत्वपूर्ण साक्षी	पीडिता के पीहर पक्ष का पडौसी गवाह
08.	पी.ड.–09	14.12.2023	रविन्द्र चौधरी, अनुसंधान साक्षी	फर्द गिरफ्तारी का गवाह
09.	पी.ड.–10	19.09.2024	प्रेमलता, महत्वपूर्ण साक्षी	पीडिता की माता
10.	पी.ड.–11	19.09.2024	राजेश बाफना	अनुसंधान अधिकारी

			अनुसंधान साक्षी	
11.	पी.ड.–12	25.11.2024	शीशराम अनुसंधान साक्षी	फर्द प्रदर्श पी–10 का गवाह

8. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये :–

क.सं.	**दस्तावेज का नाम**	**प्रदर्श**
1	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–2
3	नक्शा मौका	प्रदर्श पी–3
4	पीडिता की बलात्संग संबंधी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–4
5	धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान	प्रदर्श पी–5
6	जवाब नोटिस द्वारा पीडिता	प्रदर्श पी–6
7	अभियुक्त की पुरूषत्व संबंधी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–7
8	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–8
9	एफएसएल रिपोर्ट	प्रदर्श पी–9
10	एफएसएल प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–10
11	नोटिस अन्तर्गत धारा 91/160 दण्ड प्रक्रिया संहिता	प्रदर्श पी–11

9. अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपनी प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये :–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श
1	पुलिस बयान पीडिता	प्रदर्श डी–1
2	पीडिता एवं अभियुक्त के फोटोग्राफ	प्रदर्श पी–2 लगायत 6
3	पुलिस बयान धानी यादव, विनोद कुमार, प्रेमलता	तीनों प्रदर्श पी–7

अवधारणीय बिन्दू :-

10. उभय पक्ष की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11. न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(ए) क्या अभियुक्त ने माह अक्टूबर 2017 में शाम के 7.00 बजे के करीब पीडिता के निवास स्थान प्लॉट नं. 5, राधे विहार कॉलोनी, निवारू लिंक रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर पर पीडिता की स्वतंत्र सहमति एवं इच्छा के बिना उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग किया एवं बलात्संग के समय की अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर तत्पश्चात् कई बार जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग के अपराध की पुनरावृत्ति की ?

(डी) यदि हां तो उसका उचित दण्डादेश क्या होगा ?

पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य :–

12. उपरोक्तानुसार वर्णित आरोप के सन्दर्भ में पत्रावली पर अभियोजन की साक्ष्य निम्न है :–

महत्वपूर्ण साक्षीगण :–

13. प्रकरण की पीडिता को अभियोजन पक्ष की ओर से पीड–1 के रूप में परीक्षित कराया गया जिसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है अक्टूबर 2017 की बात है उसके मम्मी–पापा मंदिर गये हुये थे। लगभग 7:00 पीएम पर बीरबल शर्मा जो कि रिश्ते मे उसका चाचा लगता है और उससे उम्र में 25 वर्ष बडा है और वे एक ही गांव और एक जाति के रहने वाले है इस बात की जानकारी भी थी कि वह घर पर अकेली है जिसका प्लाट नम्बर 6 है जो कि उसके मकान से जुडता हुआ है। इस बात का फायदा उठाकर उसके घर पर आकर आया और

आकर बोला कि उसके पास चाकू ब्लैड है और यदि वह चिल्लाई तो उसे जान से मार देंगे और जेब से चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। जब उसने इसका विरोध किया और वह चिल्लाई तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके परिवारवालो को प्रॉपटी व्यवसाय के जानकारों से मरवाने व बहिनों को उठवाने की धमकी दी। इसके बाद फिर बीरबल शर्मा ने उसकी बिना सहमति के उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसकी उस समय रोती हुई कि नग्न अवस्था मे फोटों खींची और विडियों बनाई और जाते–जाते उसे यह धमकी देकर गया कि इस घटना की जानकारी किसी को भी दी तो उसे और उसके परिवार की बदनामी के लिए यह फोटोए पूरे गांव में और पूरे रामपुरा में वायरल कर देगा और उसे डराया और धमकाया गया। जिसके कारण वह डरी हुई थी और बदनामी के डर से यह बात किसी को नहीं बताई। इसी के कुछ देर बाद जब उसके घरवाले घर पर आये तो बीरबल चाचा ने अपने दुष्कर्म को छुपाने के लिए उनके सामने चाचा होने का प्रभाव दिखाने लगा। इसके कुछ दिन बाद भी फिर से उसके साथ फोटो और विडियों के दवाब में उसकी बिना सहमति के बलात्कार किया गया और कई बार उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। इसी दौरान उसकी शादी 9 मार्च 2019 को मिण्डा निवासी अभिषेक शर्मा से हो गई। इसके बाद भी बीरबल शर्मा गन्दी हरकतों से बाज नहीं आया और कुछ समय बाद स्वंय मैसेज करता और उसे फोन करने के लिए मजबूर करने लग गया और ऐसा नहीं करने पर उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद करने की धमकी दी।

14. अपने ससुराल में रहते हुये वह अपने पति से दो बार गर्भवती हुई। ये बात बीरबल शर्मा को मेरे पीहर गोविन्दपुरा से पता चली। इसके बाद उसे लगातार मानसिक तौर पर परेशान किया गया और गर्भपात करने का दवाब बनाया गया। जब मैंने उसके फोन को ब्लॉक किया तो इसने मेरे पति के फोन पर कॉल करना शुरू कर दिया और मेरी सास के फोन पर भी फोन करना शुरू कर दिया जिसके कारण वह काफी डिप्रेशन में थी और दो बार उसके मिसकैरेज हो गये। इसके बाद भी लगातार फोटो और विडियों के दवाब मे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसी दौरान 5 मार्च 2021 को उसके ससुराल के परिवार में एक अचानक दुर्घटना घटी जिस बात का पता बीरबल शर्मा को उसके पीहर गोविन्दपुरा से चला और इस बात का फायदा उठाते हुये उसे पुरजोर ब्लैकमेल किया गया और उसके फोन पर कई बार कॉल किये गये और उससे जबरन कॉल करवाये गये। 5 मार्च से

लेकर 21 मार्च तक की शाम तक उसे तीन आदमियों के द्वारा पुरजोर ब्लैकमेल किया गया और उसके विडियो को भेजने की स्पष्ट चेतावनी दी गई। उक्त तीन आदमियों को वह नहीं जानती किन्तु एक नाम अभियुक्त मामा नाम ले रहा था। उसके बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया और इन सब से वह हताश हो गई थी और इसके फोन और धमकियों से वह काफी परेशान हो गई थी तथा उसके पीहर और ससुराल दोनों पर लांछन लगने से घबराई हुई थी। तब बीरबल चाचा से परेशान होकर 22 मार्च 2021 को ससुराल के घर में रखे हुई फिनाईल की बोतल उसने पी ली और वह बेहोशी की स्थिति मे थी। बेहोश होने के बाद उसे एसएमएस अस्पताल में लाया गया। जब उसे होश आया तो वह एसएमएस अस्पताल में थी जहां उसके मम्मी पापा, उसके पति और सास–ससुर मेरे साथ मौजूद थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं अपने पीहर अपने पति के साथ आई और उनके जाने के बाद मम्मी–पापा को वर्ष 2017 से अब तक की सारी घटनाऐं बताई और जब उन्हें बताया गया कि तो उन्हें यह समझने में समय नहीं लगा कि वह 13 महिने से पीहर मे क्यों नहीं आ रही। उसके बाद उसके पति और ससुरालवालों को यह जानकारी दी गई और उन्होंने उसका सपोर्ट किया और उन्हें विश्वास हुआ कि वह अक्सर घबराई हुई क्यों रहती थी।

15. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि बीरबल का मकान उनके मकान से पूर्व से बना हुआ हो। यह कहना सही है कि वह और अभियुक्त एक ही गांव और एक ही जाति के है और अभियुक्त रिश्ते में उसका चाचा लगता है। उसकी जन्म दिनांक 20.04.1997 है। यह कहना सही है कि वह वर्ष 2017 में 19 वर्ष में चल रही थी। वर्ष 2017 में घर में रहकर प्राइवेट कॉलेज कर रही थी और 1 घंटे कोचिंग जाती थी। वह कोचिंग में चित्रांश एज्यूकेशन हब मे जाती थी जो कि उसके घर से 500–600 मीटर की दूरी पर है। अक्टूबर 2017 की किस दिनांक को वह शाम को घर पर अकेली थी उसे आज याद नहीं है अजखुदकहा कि वह घटना 4 से 12 तारीख अक्टूबर की थी और उसके मम्मी पापा मंदिर गये हुये थे। घटना के समय उसके मम्मी पापा मंदिर गये हुये थे यह बात उसने प्रदर्श पी–1 में लिखवाई थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–01 में इस बात का अंकन नहीं है कि उसके मम्मी पापा मंदिर गये हुये थे अजखुदकहा कि मैंने 161 सीआरपीसी और 164 सीआरपीसी के बयान में यह बात बताई थी कि मेरे मम्मी पापा मंदिर गये हुये थे। यह कहना सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 में यह बात

नहीं लिखवाई कि घटना अक्टूबर 2017 के प्रथम सप्ताह की थी या दूसरे सप्ताह की थी या तीसरे सप्ताह की थी या अंतिम सप्ताह की थी अजखुदकहा कि उसे तारीख याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–05 में उसके मम्मी–पापा मंदिर गये हुये है यह बात नहीं लिखवाई बल्कि यह लिखवाया था कि वह बाहर गये हुये है। यह कहना सही है कि उसके 164 सीआरपीसी के बयान में ब्लैड वाली बात नहीं लिखवाई किन्तु 161 सीआरपीसी के बयान और रिपोर्ट में उक्त बात लिखवाई है। यह कहना सही है कि अभियुक्त ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया उक्त बात प्रदर्श पी–1 में नहीं है। जब अभियुक्त ने उसकी गर्दन पर चाकू लगाया था तब वह चिल्लाई थी। वह काफी जोर से चिल्लाई थी किन्तु उसकी कॉलोनी में तीन ही मकान बने हुये है इसलिए किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी।

16. उसके आस–पास वर्ष 2017 में केवल तीन ही मकान बने हुये थे जो कि प्लाट नम्बर 5 मेरे पापा का था और प्लाट नम्बर 06 बीरबल चाचा का था और प्लाट नम्बर 4 सरिता यादव का था और आस पडौस के सारे प्लाट खाली थे। सामने के 5–6 प्लाट सारे खाली था। उसे उसके मम्मी पापा यह नहीं बताकर गये थे कि वह किस मंदिर में जा रहे है , वे केवल यह कहकर गये थे हम मंदिर में जा रहे है और थोडी में आ जायेंगे। हमारी कॉलोनी मे कोई मंदिर नहीं है। मेरे मम्मी पापा मंदिर से करीब एक–डेढ घंटे बाद घर पर आये थे। उसके परिवार में अक्टूबर 2017 में उसकी दो छोटी बहिनें, एक बडी बहिन और दादाजी और पापा मम्मी साथ रहते थे और मेरा भाई उस समय जालधंर में बी.टेक कर रहा था और जब यह घटना हुई तब ये तीनों दो बहिनें और दादाजी गांव में गये हुये थे और वह घर पर अकेली थी। यह कहना सही है कि अभियुक्त ने उसकी नग्नअवस्था में फोटो खींची थी इस बारे में उसने प्रदर्श पी–01 रिपोर्ट तथा प्रदर्श डी–01, 161 सीआरपीसी के बयान तथा प्रदर्श पी–05 ,164 सीआरपीसी के बयान में नहीं बताया। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–01 161 सीआरपीसी तथा 164 सीआरपीसी के बयान में अभियुक्त के द्वारा विडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया हो यह बात उसने नहीं लिखवाई किन्तु एफआईआर में लिखवाई है। यह कहना सही है कि जब पुलिस ने अभियुक्त बीरबल का मोबाईल जब्त किया तब उसे बुलाकर अभियुक्त के मोबाईल में उसके किसी प्रकार के विडियो और फोटो नहीं दिखाये थे।

17. यह कहना सही है कि घटना के पश्चात भी अभियुक्त उनके घर पर आता था किन्तु वह इस घटना के बाद उनके घर पर नहीं गई। यह कहना गलत है कि जब उसकी शादी हुई थी तब बीरबल के लडके कार्तिक को उसकी शादी में बिन्दायक के रूप में बैठाया गया हो। यह कहना सही है कि उसकी शादी में अभियुक्त और उसका परिवार शामिल हुआ था अजखुदकहा कि अभियुक्त उसके गांव का था और उस पर उसके परिवार को विश्वास था। यह कहना सही है कि उसकी शादी के समय अभियुक्त और उसके परिवार ने स्टेज पर आकर उसके साथ फोटो खिंचवाई थी अजखुदकहा कि वह स्टेज पर थी और उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–02 फोटो स्टेज की नहीं है अजखुदकहा कि जब वह स्टेज पर जा रही थी तब अभियुक्त ने उसे बीच में रोककर अपनी पत्नी के साथ फोटो खींचवाई थी जिसमें उसकी कोई सहमति नहीं थी। प्रदर्श डी–03 फोटो के एक्स स्थान पर उसकी फोटो है और वाई मार्क पर अभियुक्त बीरबल है और जेड मार्क उसकी बडी बहिन है और वी मार्क अभियुक्त बीरबल की पत्नी है। प्रदर्श डी–03 फोटो उसके कमरे की है या ड्राइंग रूम की है याद नहीं है। प्रदर्श डी–03 फोटो जब वह शादी के बाद रस्म करने आई थी तब उसने बीरबल के साथ खींचवाई थी। प्रदर्श डी–03 फोटो शादी के बाद जो होली की रस्म थी तब बीरबल की पत्नी ने उसे अपने घर पर बुलाया था और वहां पर बीरबल उपस्थित नहीं था यह फोटो तब की है। प्रदर्श डी–04 फोटो के एक्स स्थान पर उसका फोटो है और वाई स्थान पर अभियुक्त बीरबल है और डब्ल्यू स्थान पर उसकी पत्नी और जेड स्थान पर उसकी बडी बहिन की फोटो है और प्रदर्श डी–05 के एक्स स्थान पर मेरी तथा वाई स्थान अभियुक्त बीरबल तथा डब्ल्यू स्थान पर उनकी पत्नी है। प्रदर्श डी–04 व डी–05 फोटो उसकी बडी बहिन की शादी के ससुराल की है जहां पर प्रोग्राम हो रहा था और वहां उसका पूरा परिवार सामने था और उसने उस समय फोटो के लिए मना किया था तब अभियुक्त ने अपनी पत्नी को साथ लेकर फोटो खींचवाया था। वर्ष 2019 में जब उसकी शादी हो रही थी ये फोटो जब की है।

18. प्रदर्श डी–06 फोटो उसकी शादी के समय स्टेज पर जाने से पूर्व खींचवाई हुई फोटो है जिसमें एक्स स्थान पर मेरी फोटो है तथा वाई स्थान पर अभियुक्त और जेड स्थान पर अभियुक्त की पत्नी है। प्रदर्श डी–02 लगायत प्रदर्श डी–06 फोटो के जरिये अभियुक्त उसे ब्लैकमेल करता था तथा उसकी नग्नअवस्था में

खींची फोटो से भी उसे ब्लैकमेल करता था। उसे याद नहीं है कि वर्ष 2017 के बाद जब अभियुक्त के मामा के लडके की शादी थी तब उसमें वह और उसका परिवार शामिल हुआ था या नहीं। यह कहना गलत है कि वह वर्ष 2017 के बाद अभियुक्त के घर पर बर्थडे पार्टी में गई हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–01 तथा प्रदर्श डी–01,161 सीआरपीसी के बयान तथा प्रदर्श पी–05, 164 सीआरपीसी के बयान रिपोर्ट में अभियुक्त के द्वारा प्रॉपर्टी व्यवसायीयों के द्वारा मरवाये जाने की बात नहीं लिखवाई है। यह कहना सही है कि उसकी मुख्य परीक्षा का भाग इसी के कुछ देर बाद जब उसके घर वाले घर पर आये तो बीरबल चाचा ने अपने दुष्कर्म को छुपाने के लिए उनके सामने चाचा होने का प्रभाव दिखाने लगा वाली बात मेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 तथा मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी–01 तथा प्रदर्श पी–05 164 सीआरपीसी में नहीं लिखवाई है अजखुदकहा कि एफआईआर लिखाते समय यह बात ध्यान में नहीं आई होगी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त ने उसके पति को फोन नहीं किया हो बल्कि उसने उसके पति को कई बार फोन किया है। उसे उसके पति के मोबाईल नम्बर याद नहीं है। अभियुक्त बीरबल ने उसके पति को मेरी शादी हो जाने के बाद जून 2019 के बाद फोन किया था जब वह प्रेगनेंट थी इस बात का पता बीरबल शर्मा को उसके पीहर गोविन्दपुरा से पता चला था। अभियुक्त को उसने वर्ष 2019 में अभियुक्त के बार बार फोन करने पर ब्लॉक कर दिया था फिर उसके पति के फोन पर फोन आने लग गये। अभियुक्त बीरबल के मोबाईल नम्बर उसे याद नहीं है। पुलिस ने शादी के बाद कॉल डिटेल नहीं मांगे और ना ही उसने पुलिस को दी। अभियुक्त बीरबल उसे मैसेज करता है ऐसे कोई मैसेज उसने पुलिस को नहीं पढाये अजखुदकहा कि पुलिस ने उससे मैसेज की जानकारी नहीं ली थी। अभियुक्त वर्ष 2017 से ही उसे धमकी देता था। अभियुक्त उसे जून 2019 के बाद से ही धमकी देता था जब वह गर्भवती थी। जब सगाई का कार्यक्रम हुआ था तब अभियुक्त उसके परिवार के साथ सगाई में गया था और हर समय परिवार के हर कार्यक्रम में शामिल रहता था और शादी के कुछ समय बाद जब उसने अभियुक्त का फोन नहीं उठाया था तब उसकी सास को अभियुक्त ने फोन किया था जिसका उद्देश्य उसे धमकाना था। अभियुक्त उसके पति से अपने दामाद की तरह बात करता था क्योंकि अभियुक्त उसका चाचा लगता था।

19. यह कहना सही है कि अभियुक्त ने उसके पति को उसके बारे में कुछ भी

नहीं बताया था क्योकि अभियुक्त उसे कहता था कि यदि उसका फोन नहीं उठाया तो वह किसी भी सूरत तक गिर सकता है। उसके दो बार जो मिसकेरिज हुये थे उसके दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है क्योकि पुलिस ने उससे मांगे ही नहीं। दिनांक 05.03.2021 को उसके पति के बडे भाई खत्म हो गये थे। यह कहना सही है कि उसकी मुख्य परीक्षा का भाग इसी दौरान 5 मार्च 2021 को मेरे ससुराल के परिवार में एक अचानक दुर्घटना घटी जिस बात का पता बीरबल शर्मा को उसके पीहर गोविन्दपुरा से चला और इस बात का फायदा उठाते हुये उसे पुरजोर ब्लैकमेल किया गया और मेरे फोन पर कई बार कॉल किये गये और उससे जबरन कॉल करवाये गये वाली बात 164 सीआरपीसी के बयानों में लिखी हुई है किन्तु 164 सीआरपीसी के बयान में दिनांक लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–05 164 सीआरपीसी के बयान मे अचानक दुर्घटना घटी हो इस बारे में नहीं लिखवाया है। अभियुक्त ने जून 2019 के बाद उसके ससुराल से उससे धमकी देकर कॉल करवाये थे और अभियुक्त ने भी कई बार कॉल किये थे और मैसेज किये थे। मेरी मुख्य परीक्षा का भाग 5 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की शाम तक उसे तीन आदमियों के द्वारा पुरजोर ब्लैकमेल किया गया और उसके विडियो को भेजने की स्पष्ट चेतावनी दी गई। उक्त तीन आदमियों को वह नहीं जानती किन्तु एक नाम अभियुक्त मामा नाम ले रहा था, वाली बात प्रदर्श पी–1, प्रदर्श पी–05 तथा प्रदर्श डी–1 पुलिस बयान में नहीं लिखवाई है। यह कहना सही है कि उसने दिनांक 22.03.2021 को ससुराल में फिनाईल पी थी। यह कहना सही है कि वह फिर एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुई थी और वहॉ उसका ईलाज हुआ था। एसएमएस अस्पताल में उसका जो ईलाज हुआ था उसके कागज उसने पुलिस को दिये थे। उसके ससुराल में उसकी सास, उसके पति, वह, और उसकी भांजी और मेरी एक साल की बेटी साथ रह रहे है। जब उसके मम्मी पापा मंदिर से लौटकर आये थे तब बीरबल मेरे मम्मी पापा के साथ ही घर के अंदर आया और उसने उसकी मम्मी पापा को बताया कि उसने पीडिता के थप्पड मारा है क्योकि वह कोचिंग में जाकर बाहर घूम रही थी उक्त बात उसने अपने दुष्कर्म को छुपाने के लिए कही थी। उसके घरवालों से इस बारे में आपति की थी कि अभियुक्त झूठ बोल रहा है और अभियुक्त उससे 25 वर्ष बडा था और उसने घर वालों को बताया था कि उसने चाचा के साथ बदतमिजी से बात नहीं की और उसके घरवालों ने कहा कि बीरबल चाचा बडे है।

20. गवाह पीड–5 पीडिता के पिता विनोद कुमार शर्मा ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि उसकी हार्डवेयर की दुकान है। उसके दो लडकी और एक लडका है। दिनांक 24.03.2021 को पीडिता ने बताया कि अक्टूबर 2017 बीरबल शर्मा जो कि उसका पडौसी है घर में आ गया और अंदर घूसकर दरवाजे को बंद कर लिया, उस समय उसकी बेटी घर पर अकेली थी, घर में आकर मेरी बेटी से बोला कि उसके हाथ मे चाकू है और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे बोला कि उसे उसके साथ शारीरिक संबधं बनाने होगें और उसने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती बगैर उसकी सहमति के दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो और अश्लील विडियो उसने बना ली और उसे धमकी देकर गया कि उसने यदि जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाली किसी को बतायी तो उसकी अश्लील फोटो और विडियो को वायरल कर देगा और उसकी समाज में बदनामी होगी, इस डर के मारे उसकी बेटी ने किसी को दुष्कर्म वाली बात नहीं बताई। दिनांक 09.03.22019 को उसकी बेटी पीडिता की शादी कर दी। शादी के पश्चात भी बीरबल शर्मा पीडिता का पीछा नहीं छोड रहा था और उसे बार बार परेशान कर रहा था। अक्टूबर 2019 में बीरबल शर्मा उसकी बेटी के ससुराल में धमकाने के लिए गया था कि उससे निरन्तर बातें किया कर नहीं तो उसकी अश्लील फोटो और विडियों वायरल कर देगा और तेरे पति को जान से मार देगा किन्तु उस समय उसकी बेटी अनिता की सास घर पर मौजूद थी इसलिए वह वापिस आ गया। उसकी बेटी अपने पति से दो बार गर्भवती भी हुई किन्तु बीरबल शर्मा द्वारा दिये गये मानसिक टार्चर और शारीरिक परेशानी के कारण मेरी बेटी डिप्रेशन मे रहने लगी जिससे उसका गर्भपात हो गया। फिर बीरबल शर्मा से प्रताडित और परेशान होकर मेरी बेटी ने घर पर रखी एक फिनाईल की बोतल को सुबह 08:00 बजे पी लिया। फिर मेरी बेटी को उसके ससुरालवाले एसएमएस अस्पताल लेकर गये और उसका वहां पर ईलाज हुआ। फिर दिनांक 24.03.2021 को मेरी बेटी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर लेकर आये तो हम सबने उससे पूछा तब उसने सारी बातें बताई।

21. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि मारौठ थाने में 30 मार्च 2021 को गये थे। दिनांक 24.03.2021 को उसे पूरी बातों की जानकारी हो गई थी। पुलिस थाना मारोठ ने रिपोर्ट पर कोई पृष्ठांकन नहीं किया था। दिनांक 30.03.2021 को हम मारोठ से जयपुर आ गये थे। यह कहना सही है कि हम दिनांक 31.03.2021

को व 01.04.2021 को थाने नहीं गये थे घर पर ही थे। अनिता दिनांक 02.04.2021 को सुबह जयपुर आयी थी। यह कहना सही है कि उसे लडकी ने घटना की कोई तारीख नहीं बताई। यह कहना सही है कि वर्ष 2017 में उसे उसकी लडकी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की बात नहीं बतायी थी। अक्टूबर 2017 से 24.03.2021 तक कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की कि अभियुक्त के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया हो या जबरदस्ती की गई हो। प्रदर्श डी–7 का सी से डी भाग उसकी लडकी के बताये अनुसार ही बता रहा है। यह कहना सही है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। यह कहना सही है कि पीडिता की शादी के प्रत्येक प्रोग्राम में अभियुक्त और उसका परिवार शामिल हुआ था। पीडिता ने कभी इस बात का ऐतराज नहीं किया कि बीरबल को शादी में क्यों बुलाया जा रहा है, पीडिता ने कभी भी यह भी नहीं कहा कि अभियुक्त को शादी में मत बुलाओ। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि पुलिस ने बीरबल से कोई चाकू या ब्लेड बरामद की अथवा नहीं। यह कहना सही है कि पुलिस ने अभियुक्त के मोबाईल से कोई फोटो या वीडियो बरामद नहीं किये थे। यह कहना सही है कि पीडिता ने कभी भी अपने फोन से फोटो, मैसेज या अश्लील वीडियो उसे नहीं दिखाये। उसकी पुत्री के गर्भपात से संबंधित कोई चिकित्सकीय दस्तावेज पुलिस को नहीं दिये थे।

22. गवाह पीड–10 पीडिता की माता प्रेमलता ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह गृहणी है। उसके दो लड़की और एक लड़का है। अनिता उसकी बेटी है। अनिता की शादी वर्ष 2019 में अभिषेक शर्मा के साथ हुई थी। उसकी बेटी अनिता शादी के बाद अपने ससुराल रहती थी। वर्ष 2021 में 22 मार्च को उसकी बेटी अनिता ने फिनायल पिया था, उसी दिन उसके ससुराल से फोन आया था कि आपकी बेटी ने फिनायल पी लिया है। इस पर वे सभी ससुराल वालों पर गुस्सा हो गये कि किस बात पर फिनायल पी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता कि किस वजह से अनिता ने फिनायल पी है। वे उसे अस्पताल लेकर आ रहे है आप भी आ जाओ, तो वह व उसके पति एसएमएस अस्पताल पहुंचे गए, उस समय अनिता बेहोश थी। कुछ देर बाद अनिता को होश आया तो उसने उससे पूछा कि किस वजह से तूने फिनायल पिया तो उसने बताया कि उसने बीरबल की वजह से फिनायल पिया था। उसने पूछा कि बीरबल की क्या वजह थी, तो वह जोर–जोर से रोने लगी। अस्पताल में खड़े अन्य लोग बोले कि

अभी बच्ची बहुत खबराई हुई है, आप इसे घर पर ले जाकर पूछ लेना। फिर दिनांक 22.03.2021 को ही वह घर पर आ गयी। शाम को आते समय देखा तो बीरबल के घर से सभी फरार थे और उसके घर पर ताला लगा हुआ था। फिर दिनांक 24 को अनिता उसके घर पर आयी, तो शाम को वह व उसके पति ने उसकी बेटी अनिता से पूछा कि बीरबल की क्या वजह थी तो उसने उन्हें बताया कि वर्ष 2017 में अक्टूबर का समय था, दादा, दादी और बहना गांव गयी थी और पापा और मम्मी मन्दिर गये हुए थे। तब बीरबल आया और अन्दर से गेट बन्द कर दिया। वह अपने हाथ में चाकू और ब्लेड़ लेकर आया था। चाकू को उसने उसकी गर्दन पर रखा और उसके साथ बलात्कार किया तथा उसकी फोटो और वीडियो बनाए, जाते–जाते उसे यह धमकी दी कि किसी को बताएगी या चिल्लाएगी तो उसके परिवार को एंव उसे जान से खत्म कर दूंगा और उसकी बदनामी के लिए उसकी फोटो वायरल कर देगा, तभी उन्हें समझ आया कि अनिता बार–बार बीरबल का विरोध करती थी और वह तेरह माह से उसके घर पर भी नहीं आयी थी, उनके भी यह बात सुनते ही हाथ पावं कॉपने लगे कि बीरबल अनिता से भी उम्र में काफी बड़ा था और अपने समाज का भी था और उनके बच्चे सभी उसको चाचा–चाचा कहकर ही बोलते थे, फिर यह बात उनके दादा और चाचा ओर को बताया तो उन्होंने अनिता को पूछा कि बेटा अभी तू क्या करना चाहती है। वह बोली बीरबल के पास उसकी फोटो एवं वीडियो है लेकिन फिर भी वह एफआईआर दर्ज कराना चाहती है, फिर वे लोग 30 तारीख को मारोठ थाने पर गए वहां पर पुलिस वालों ने कहा कि यह रिपोर्ट यहां पर दर्ज नही होगी। फिर वे 02 तारीख को करधनी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गये।

23. उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन करती है कि पुलिस वालों ने बीरबल से कोई फोट या विड़ियो जो उसके द्वारा खींचना बता रहा था वह बरामद किये या नहीं उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि अक्टूबर 2017 घटना के दिन से दिनांक 24.03.2021 तक उसकी बेटी अनिता ने घटना के बारे में उसे एवं उसके परिवारजन को नहीं बताया था। यह उसे पता नहीं है कि अनिता ने शादी के बाद घटना के बारे में अपने ससुराल में बताया था या नहीं। यह कहना सही है कि अक्टूबर 2017 से दिनांक 24.03.2021 के मध्य बीरबल का उनके घर पर महिने–छः महिने में आना–जाना रहता था। यह कहना गलत है कि अनिता की शादी में बीरबल का लड़का कार्तिक उसका विनायक बना

हो। यह कहना सही है कि अनिता की शादी में बीरबल भी आया था। यह कहना सही है कि बीरबल ने उसकी बेटी अनिता को बिन्दोरी दी थी, जिसमें उसकी बेटी उसके घर पर खाना भी खाकर आई थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–02 लगायत प्रदर्श डी–06 में अनिता ने बीरबल व उसकी पत्नि के साथ फोटो खिंचवाई थी। प्रदर्श पी–03 फोटो उनके घर के हॉल की है, जिसमें एक्स स्थान पर अनिता वाई स्थान पर बीरबल जेड स्थान पर उसकी बड़ी बेटी रीना शर्मा एवं वी स्थान पर बीरबल शर्मा की पत्नि है। प्रदर्श डी–04 में बड़ी बेटी के टीके की फोटो है। टीके की दिनांक उसे पता नहीं है, वर्ष 2019 की बात है, जिस साल में शादी हुई थी। जब अनिता एसएमएस अस्पताल में भर्ती थी तब अनिता ने उसे व डॉक्टर को यह नहीं बताया कि उसके फिनायल पीने का क्या कारण था। यह कहना सही है कि उसने कोई घटना नहीं देखी, अनिता ने जो बताया उसके अनुसार बतायी। पुलिस ने कोई चाकू या ब्लेड अभियुक्त से बरामद किया था या नहीं उसे पता नहीं है। घटना के समय उसके मकान के अगल बगल मे एक यादव का एक उसका व एक बीरबल का मकान ही था। यह उसे नहीं पता कि अगर उसके मकान से कोई चिल्लाये तो आवाज बाहर तक जाती है। उसकी पुत्री दो बार गर्भवती हुई थी, लेकिन गर्भपात हो गया था, तीसरी बार उसकी पुत्री के गर्भवती होने पर लडकी पैदा हुई है। वह घर पर ही रहती है। घटना की तारीख वह घर पर थी या नहीं वह नहीं बता सकती। अनिता ने उसे बताया कि वह मन्दिर गयी हुई थी। अनिता ने घटना का समय शाम का 07–08 बजे का बताया था।

24. उसके घर से मन्दिर की दूरी उसे पता नहीं है एवं यह भी नहीं पता कि वह कौनसे मन्दिर में गयी थी। उसकी घर के नजदीकी मन्दिर शंकर जी का है, जहां पर जाने मे 15–20 मिनट लग जाती है एवं दूर वाले मन्दिर में एक–ढेड़ घंटा लग जाता है। मन्दिर से वह जब घर पर आई तो बीरबल घर के बाहर खडे थे, फिर वह उसके साथ अन्दर गये और बीरबल ने उसे बताया कि उसने अनिता को एक थप्पड़ मारा उसने पूछा कि क्यों मारा तो बीरबल ने कहा कि अनिता कोंचिंग में किसी लड़के से बात करती है इस पर अनिता ने बोला मम्मी यह झूठ बोल रहा है और अनिता रोने लगी, उसके बाद बीरबल अपने घर पर चला गया। यह कहना सही है कि उपरोक्त बाते ''अनिता ने घटना का समय शाम का 07–08 बजे का............ चली गयी और उन्हें और कोई बात नहीं बतायी'' उसने

पुलिस को बतायी थी। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–07 में उक्त बातें लिखायी थी, पुलिस ने क्यों नही लिखी यह उसे पता नहीं है, फिर कहा कि उसने पुलिस को बताया या नहीं उसके ध्यान में नहीं है। उसकी पुत्री अनिता एसएमएस अस्पताल मे भर्ती होने के समय बेहोश थी उक्त कथन उसने उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–07 में नहीं लिखाया। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–07 में ए से बी भाग लिखा दिनांक 23.03.2021 गलत लिखा है, उसने तो दिनांक 22.03.2021 बतायी थी। ससुराल में फिनायल पीकर एसएमएस अस्पताल मे भर्ती होने की सूचना उसे फोन पर दी गयी थी, यह बात उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी–07 में नहीं लिखायी थी, क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं था, फोन उसके पास नहीं आया था, अनिता के पापा के पास आया था। उसकी मुख्य परीक्षण में बताई गयी बात "तो वह व उसके पति एसएमएस अस्पताल पहुंचे गए। उस समय अनिता बेहोश थी। .... उसने पूछा कि बीरबल की क्या वजह थी, तो वह जोर–जोर से रोने लगी" उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–07 में नहीं बतायी थी आज पहली बार यह बात न्यायालय में बतायी है, अजखुद कहा कि उसने बतायी हो तो उसे ध्यान नहीं है। दिनांक 30.03.2021 को वे थाना मारोठ पर रिपोर्ट कराने गये जो अनिता के ससुराल का थाना है। उक्त बात उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–07 में नहीं लिखायी है, जब वे मारोठ से दिनांक 30.03.2021 को वापस आ गये थे तो अगले दिन रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं कराये थे, क्योंकि अनिता को ससुराल छोड़कर आए थे। एफआईआर विलम्ब से कराने का उक्त कारण रिपोर्ट में प्रदर्श पी–01 में लिखा था या नहीं उसे नहीं पता। रिपोर्ट कराने वह, उसके पति और अनिता थाने पर साथ गये थे। करधनी थाने पर सुबह 11–12 बजे रिपोर्ट करवाने गये थे। उसने रिपोर्ट नहीं पढी थी, क्योंकि वह पढ़ी–लिखी नहीं है। यह कहना गलत है कि अनिता ने फिनायल इसलिए पी ली हो कि उसके ससुराल वालें कम दहेज देने के कारण उसे परेशान करते थे, जिससे तंग आकर उसने फिनायल पी ली हो। यह कहना गलत है कि ससुराल वालों ने यह कहा हो कि फिनायल पीकर आज यह मर जाती तो वे फस जाते इसलिए वे इसको ससुराल लेकर नही जाऐंगे। यह कहना गलत है कि ससुराल वालों द्वारा यह कहने पर कि अनिता ने फिनायल पिया है, इसके संबंध में फिनायल पीने का अन्य कारण बताकर किसी अन्य पर मुकदमा करोगे तो ही वे लेकर जाऐंगे अन्यथा अनिता को ससुराल लेकर नही जाऐंगे। यह कहना सही है कि उसके बच्चे बीरबल को

चाचा—चाचा कहकर बुलाते थे, यह बात उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी—07 में नहीं लिखायी है। घटना के बारे में अनिता के दादा और चाचा को बताया हो तथा उन्होंने अनिता से यह पूछा हो कि बेटी तुम क्या चाहती हो एवं यह भी नहीं बताया हो कि बीरबल के पास उसकी फोटो एवं वीडियो है, उक्त बातें उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी—07 में उसने नहीं लिखाई थी। अनिता का डिप्रेशन का कोई ईलाज नहीं करवाया था। पुलिस ने उसके बयान मुकदमा दर्ज होने के बाद लिए थे या पहले उसे पता नहीं है। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। प्रदर्श डी—07 का सी से डी भाग उसने पुलिस को लिखाया था या नहीं उसे पता नहीं है। उसने पुलिस को घटना के वक्त वह दुकान पर गयी हुई थी या मन्दिर गयी थी यह बात लिखायी थी या नहीं यह उसे आज याद नहीं है, लेकिन अनिता ने उसे बताया था कि वह उस समय मन्दिर गयी हुई थी। बीरबल ने उसे बताया था कि उसने अनिता को थप्पड मारा था इस सम्बंध में उन्होंने पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया।

25. यह कहना गलत है कि बीरबल से उन्होंने दो लाख रूपये ले रखे थे। बीरबल और उनके बीच पैसों की कोई बात नहीं हुई थी, ना ही तो उन्होंने दिये एवं ना ही लिये। यह कहना गलत है कि उन्होंने बीरबल से दो लाख रूपये उधार लिये हो उउनके द्वारा पैसे नहीं लौटाने पर पैसों की बात को लेकर झगड़ा हो गया हो, जिसके कारण उन्होंने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। उसकी बेटी ने फिनायल पीया था जिसके कोई कागज उसने पुलिस को नहीं दिये थे। यह कहना गलत है कि अनिता ने फिनायल नहीं पी हो बल्कि फिनायल पीने की व एसएमएस अस्पताल मे भर्ती कराने की झूंठी कहानी बनाकर केस किया हो। यह कहना गलत है कि उसकी लड़की के साथ कोई घटना कारित नहीं हुई हो और बीरबल को झूठा फंसाकर ब्लैक मेल करने के लिए उक्त मुकदमा किया हो।

26. गवाह पीड—8 पडौसी घानी यादव ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसने सुना था कि बीरबल शर्मा ने पीडिता के साथ गलत काम किया है।

चिकित्सकीय साक्षीगण :—

27. गवाह पी.ड. 2 डॉ. ज्योति सैनी ने सशपथ बयानों में पीडिता का मेडिकल मुआयना करना बताते हुए उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 के रूप में प्रदर्शित करवाई है। दौराने जिरह गवाह ने पीडिता के शरीर पर अथवा उसके आंतरिक भाग पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं होने का कथन किया है। गवाह पीड—3 डॉ.

अजय श्रीवास्तव ने अपने सशपथ बयानों में अभियुक्त का पुरूषत्व संबंधी चिकित्सकीय परीक्षण करना बताते हुए उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 के रूप में प्रदर्शित कराई है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि अभियुक्त के आंतरिक व बाह्य शरीर के भागों पर किसी भी प्रकार की जाहिराना चोट के निशान नहीं थे।

अनुसंधान साक्षीगण :–

28. गवाह पी.ड.4 रोहिताश एवं पीड–9 रविन्द्र चौधरी अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–8 के गवाह है। गवाह पीड–6 अशोक कुमार शर्मा नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 का गवाह है। गवाह पीड–7 योगेन्द्र सिंह प्रकरण के तीन शील्डशुदा लिफाफे एफएसएल में जमा करवाये जाने का साक्षी है।

29. गवाह पीड–11 अनुसंधान अधिकारी राजेश बाफना ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौक प्रदर्श पी–03 पीडिता की निशादेही से बनाया गया था, पीडिता का बलात्कार संबंधी मेडिकल परीक्षण अस्पताल में करवाकर रिपोर्ट प्रदर्श पी–04 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई, पीडिता के न्यायालय में 164 सीआरपीसी के बयान करवाये गये थे जिनकी सत्यापित प्रतिलिपि शामिल पत्रावली की गई थी। पीडिता को नोटिस दिया गया था जिसका जवाब पीडिता के द्वारा दिया गया था जो कि प्रदर्श पी–06 है, पीडिता के 161 सीआरपीसी के बयान महिला पुलिसकर्मी से करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये थे। गवाह प्रेमलता, शीशराम, योगेन्द्र सिंह, धानी यादव, विनोद कुमार के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में उनके कथनानुसार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये थे। मुलजिम बीरबल शर्मा को जरिये फर्द प्रदर्श पी–08 के दिनांक 25.04.2021 को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारशुदा मुलजिम का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल परीक्षण प्रदर्श पी–07 करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया था। तीन सील्डशुदा पैकेट को एफएसएल में जमा करवाया जाकर प्राप्ति रसीद को शामिल पत्रावली किया गया जो कि प्रदर्श पी–09 है। जब्तशुदा तीन सील्डशुदा पैकेट को एफएसएल में जमा करवाया जाकर प्राप्ति रसीद को शामिल पत्रावली किया गया जो कि प्रदर्श पी–10 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त बीरबल शर्मा के विरूद्ध जुर्म धारा 376(2)(एन) आईपीसी का प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट संबंधित न्यायालय में पेश की गई थी।

30. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी–1 में घटना अक्टूबर

2017 की बताई गई है जिस पर मुकदमा दिनांक 02.04.2021 को दर्ज कराया गया है। उसने एसएमएस अस्पताल में से पीडिता द्वारा फिनायल पीने पर एसएमएस में भर्ती होने का व डिसचार्ज होने का कोई रिकॉर्ड नहीं लिया। पीडिता के ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये ना ही कोई फिनायल की बोतल ससुराल से बरामद की गयी। पीडिता की कोई फोटो वीडियो अभियुक्त से बरामद नहीं किये गये क्योंकि उसकी तफ्तीश में अभियुक्त के द्वारा उसके मोबाईल में कोई फोटो व वीडियो बनाना नहीं पाया गया। अभियुक्त से कोई चाकू व ब्लेड बरामद नहीं किया गया क्योंकि उसकी तफ्तीश में चाकू व ब्लेड से डराना नहीं पाया गया।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क :—

31. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

32. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियुक्त पर पीडिता की स्वतंत्र सहमति एवं इच्छा के बिना उसके साथ जबरन कई बार शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग का आरोप है, अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध को सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

33. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में पीड़िता, उसके माता—पिता के बयानों में गंभीर एवं तात्विक विरोधाभास है, प्रकरण में पीडिता ने अभियुक्त द्वारा उसकी गर्दन पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्संग करना और बलात्संग के समय की पीडिता की अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी के आधार पर कई बार बलात्संग करने का आरोप लगाया है लेकिन पीडिता द्वारा प्रकरण की एफआईआर लगभग पांच साल की देरी से दर्ज करवाई गई है, प्रकरण में अभियुक्त से किसी प्रकार की ब्लेड/चाकू बरामद नहीं किया गया है ना ही पीडिता की कोई अश्लील फोटो/वीडियो बरामद हुए है, पीडिता द्वारा घटना की कोई निश्चित दिनांक नहीं बताई गई है, घटना के पश्चात् पीडिता के विवाह के प्रत्येक समारोह में अभियुक्त व उसकी पत्नी शामिल हुए है और पीडिता द्वारा अपने पिता या परिवार के अन्य लोगों से अभियुक्त के विवाह में शामिल होने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है, पीडिता के विवाह में पीडिता द्वारा अभियुक्त के साथ अपनी मर्जी से फोटो खिचवाई गई है जिसमें वह प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई दे रही है, पीडिता द्वारा

कभी अपने माता–पिता को अपने विवाह में अभियुक्त को बुलाने बाबत् कोई ऐतराज नहीं किया गया, प्रकरण का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, पीडिता के माता–पिता, पीडिता के बताये अनुसार बयान देना बताते हैं, प्रकरण की पीडिता ने घटना के समय अपने माता–पिता को घर पर नहीं होना बताया है जबकि पीडिता की माता प्रेमलता ने घटना की दिनांक को वह घर पर थी या नहीं, यह नहीं बता सकने का कथन किया है और पीडिता के बताये अनुसार स्वयं को मन्दिर जाना बताया है लेकिन कौनसे मन्दिर गई थी, यह नहीं बता सकना बताया है, पीडिता द्वारा अभियुक्त से परेशान होकर फिनायल पीने और अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में अस्पताल का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है, पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ जबरन कई बार शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग करने के संबंध में साक्ष्य नहीं आई है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः–

1- Suta Ram Vs. State of Raj., MANU/RH/0862/2009, RHC

2- Bhopal Singh & Ors Vs. State of Raj. S.B.Criminal Revision Petition No. 299 of 1982

3- State of Raj. Vs. Ramlal, 2009(1) Cr.L.R. (Raj.) 98, RHC

4- Arving @ Abhi Vs. State of Raj., 2025 (1) Cr.L.R. (Raj.) 241

5- Ramdhan Vs. State of Raj. 2010(1) Cr.L.R. (Raj.) 722

6- Sukhpal Singh Vs. State of Raj. 2014 (3) Cr.L.R. (Raj.) 1580

7- Rajesh Patel Vs. State of Jharkhand, AIR 2013 S.C. 1497

8-Sukhwan Sing Vs. State of Raj. 2006(1) Cr.L.R. (Raj.) 834

9- Dhruvaram Murlidhar Sonar Vs. State of Maharashtra and Ors., Criminal Appeal No. 1443 of 2018, AIR 2019 SC327

10- Manak Chand Vs. State of Haryana, 2023(9) WLC 378 (SC)

अवधारणीय बिन्दूओं पर न्यायालय का विनिश्चय :-

34. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का परिशीलन किया गया।

35. बलात्संग जैसे अपराध में घटना के चश्मदीद साक्षी का लगभग अभाव होता है एवं न्यायालय को पीडिता के कथनों के आधार पर ही अभियुक्त के आपराधिक

दायित्व का निर्धारण करना होता है। ऐसी स्थिति में पीडिता की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है एवं उसका सुक्ष्मता, गम्भीरता के साथ सही–सही विवेचन किया जाना आवश्यक हो जाता है। पीडिता की साक्ष्य के साक्षिक महत्व के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Santosh prasad@Santosh kumar Vs The State of Bihar, 2020(1) CRIMINAL 634 S.C. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया किः–

"Indian penal Code, 1860-Section 376(1) and 450- Criminal Procedure code, 1973-Section 374-Rape-Conviction on the basis of statement of prosecutrix only- Validity-Held-To base conviction only on the statement of prosecutrix under Section 376 of I.P.C., evidence of prosecutrix must be examined as that of an injured witness whose presence at the spot is probable but it can never be presumed that her statement should, without exception be taken as gospel truth."

"In the case of Krishna Kumar Malik Vs State of Haryana, (2011) 7 SCC 130

it is observed and held by the Court that no doube, it is true that to hold an accused guilty for commission of an offence of rape, the solitary evidence of the prosecutrix is sufficent provided the same inspires confidence and appears to be absolutely trustworthy, unblemished and should be of sterling quality."

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टात में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि बलात्कार का अपराध एक घृणित अपराध है जो कि ना केवल स्त्री के शरीर के विरूद्ध अपराध है बल्कि समाज के प्रति भी अपराध है। अतः ऐसी स्थिति में पीडिता की एकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, अन्य साक्ष्य से पीडिता की साक्ष्य की सम्पुष्टि होना आवश्यक नहीं है लेकिन जहॉ मात्र पीडिता की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना है, तब पीडिता की साक्ष्य निष्पक्ष, विसंगतियों से रहित व सत्यता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए एवं पीडिता की साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास नहीं होने चाहिये।

अर्थात् विधि अनुरूप पीडिता की एकल साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि का विधिसम्मत आधार हो सकता है किन्तु उसके लिए यह भी आवश्यक है कि पीडिता

की साक्ष्य अखण्डनीय हो एवं उसमें किसी प्रकार के कोई तात्विक विरोधाभास अथवा महत्वपूर्ण सुधार ना होते हुए उक्त साक्ष्य न्यायालय का विश्वास अर्जित किये जाने योग्य हो।

36. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रकरण में दौराने विचारण आई पीडिता की साक्ष्य को देखे तो प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पीडिता को पीड–1 के रूप में पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने सशपथ बयानों में अक्टूबर–2017 की घटना होना बताते हुए शाम के लगभग 7.00 पीएम पर अपने रिश्ते के चाचा अभियुक्त को पीडिता के घर पर अकेली होने की जानकारी होना और इस बात का फायदा उठाकर अभियुक्त द्वारा उसके घर पर आकर चाकू ब्लेड दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर, परिवार वालों को प्रोपटी व्यवसाय के जानकारों से मरवाने व बहिनों को उठवाने की धमकी देकर बलात्संग करना और पीडिता की उस समय की नग्नावस्था की फोटो/वीडियो खींचकर वायरल करने की धमकी देना बताया है। इस प्रकार पीडिता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ अक्टूबर–2017 में सर्वप्रथम बलात्संग की घटना कारित किया जाना बताया है लेकिन बलात्संग की घटना की कोई निश्चित दिनांक का वर्णन अपने सशपथ बयान, एफआईआर/धारा 161/164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में नहीं किया है। पीडिता घटना के समय एक बालिग, पढी–लिखी महिला थी, बलात्संग का अपराध एक घर्णित अपराध होता है जो कि किसी महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तोड देता है। पीडिता की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त द्वारा अक्टूबर 2017 के अलावा भी उसके साथ कई बार बलात्संग की घटना कारित की गई थी लेकिन पीडिता को प्रथम अथवा किसी भी बलात्संग की घटना की किसी निश्चित दिनांक की जानकारी ना होना पीडिता की साक्ष्य को सन्देहास्प्रद बनाता है।

37. पीडिता का यह कथन रहा है कि अभियुक्त उसके मकान में घुस आया और चाकू/ब्लेड दिखाकर और पीडिता के चिल्लाने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर उसकी सहमति के बिना उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किये। इस संबंध में पत्रावली में संलग्न नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 के अवलोकन से यह साबित होता है कि घटना स्थल पीडिता का मकान नं. 5, श्रीराधे विहार, निवारू लिंक रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर का है जो कि एक घनी आबादी क्षेत्र है, पीडिता के मकान के पास ही अन्य मकान भी है, ऐसी स्थिति में इतनी घनी

आबादी क्षेत्र में शाम के 7.00 बजे के आसपास अभियुक्त का पीडिता के मकान में जाकर जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करना एवं पीडिता का अभियुक्त से बचने के लिये चिल्लाना बताया है चूंकि पूर्व विवेचन के अनुसार घटना स्थल घनी आबादी क्षेत्र है और पीडिता के मकान के पास अन्य मकान भी बने हुए हैं ऐसी स्थिति में पीडिता के चिल्लाने पर इतनी घनी आबादी क्षेत्र में उसकी कोई आवाज ना सुने या उसके बचाव के लिये आस–पडौसी या अन्य कोई नहीं आये, यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

38. इसके अलावा बलात्संग की स्थिति में महिला उस हद तक अपने बचाव करने का प्रयास करती है जिस हद तक वह कर सकती है और ऐसी स्थिति में स्वयं पीडिता एवं अभियुक्त के शरीर पर चोटे आने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन पीडिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161/164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों अथवा न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में बलात्संग के दौराने अपने शरीर के आंतरिक या बाह्य भागों पर कोई चोटों कारित होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। चिकित्सकीय साक्षी पीड–2 डॉ. ज्योति सैनी ने अपने परीक्षण में पीडिता के शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं पाया जाना वर्णित किया है।

39. पीडिता ने अभियुक्त द्वारा उसकी नग्नावस्था की फोटो खींचना एवं वीडियो बनाया जाना बताया है लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त से किसी प्रकार की अश्लील वीडियो/फोटो बरामद नहीं हुई है ना ही अभियुक्त के कब्जे से कोई चाकू/ब्लेड बरामद हुआ है, यदि वास्तव में अभियुक्त द्वारा पीडिता की नग्नावस्था की वीडियो/फोटो बनाई जाती और चाकू/ब्लेड से उसे डराया जाता तो निश्चित रूप से अनुसंधान के दौरान पुलिस अभियुक्त से उक्त वीडियो/फोटो एवं चाकू/ब्लेड बरामद करती, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने दौराने जिरह अपनी तफ्तीश में अभियुक्त के मोबाईल में कोई फोटो व वीडियो बनाना नहीं पाये जाने और चाकू व ब्लेड से डराने का तथ्य स्वयं के अनुसंधान में प्रमाणित नहीं पाया है।

40. प्रकरण में अभियुक्त पर यह आक्षेप अधिरोपित किया गया है कि उसके द्वारा पीडिता की नग्न फोटो व वीडियो बनाये गये एवं उसके आधार पर अभियुक्त पीडिता को ब्लेकमेल करता था। प्रकरण में अभियुक्त से ऐसा कोई अश्लील वीडियो/फोटो बरामद नहीं हुआ है, पीडिता ने स्वयं के फोन पर

वीडियो/फोटो आदि भेजे जाने का तथ्य वर्णित किया है किन्तु ऐसा कोई वीडियो/फोटो आदि पीडिता द्वारा दौराने अनुसंधान पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पीड–11 राजेश ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने पीडिता के कहे अनुसार फोटो/वीडियो अभियुक्त से बरामद नहीं किये क्योंकि उसके द्वारा की गई तफ्तीश में अभियुक्त के द्वारा उसके मोबाईल में कोई फोटो/वीडियो बनाना नहीं पाया गया। उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा किये गये अनुसंधान में अभियुक्त द्वारा पीडिता के कोई फोटो भेजना नहीं पाया गया था तो ऐसे में यह सम्पूर्ण तथ्य अभियुक्त द्वारा पीडिता की अश्लील फोटो/वीडियो बनाने व उसे पीडिता को भेजने तथा उनके आधार पर पीडिता को ब्लेकमेल करने के आक्षेपों की सत्यता को प्रश्नगन बना देते हैं।

41. पीडिता ने दौराने जिरह घटना के समय अपने माता–पिता को मन्दिर जाना बताया है लेकिन पीडिता की माता पीड–10 प्रेमलता ने दौराने जिरह घटना की दिनांक को वह घर पर थी या नहीं, यह नहीं बता सकना बताया है, इस प्रकार पीडिता घटना के समय अपनी माता को घर पर नहीं होने का कथन करती है जबकि पीडिता की माता ने घटना की दिनांक को घर पर नहीं होने के संबंध में कोई निश्चित कथन नहीं किये है, पीडिता ने अपने माता–पिता को घटना के समय मन्दिर जाना बताया है लेकिन पीडिता की माता ने यह नहीं बता सकना बताया है कि वह घटना की दिनांक को कौनसे मन्दिर गई थी, जो कि पीडिता एवं उसकी माता के बयानों में गम्भीर विरोधाभास को प्रकट करता है।

42. पीडिता ने घटना के बाद अपने घरवालों का आना और उस समय अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म को छुपाने के लिए उनके सामने चाचा होने का प्रभाव दिखाना और पीडिता के माता–पिता से यह शिकायत करना बताया है कि पीडिता कोचिंग में जाकर घूम रही थी इसलिये उसने पीडिता को थप्पड लगाया लेकिन पीडिता द्वारा सर्वप्रथम दर्ज करायी गयी एफआईआर और धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में इस संबंध में कोई कथन नहीं किये है। इसके अलावा पीडिता की माता पीड–10 प्रेमलता ने पीडिता के कथनों के विपरीत घटना के पश्चात् घर पहॅुचने पर अभियुक्त द्वारा यह बताना बताया कि पीडिता कोचिंग में किसी लडके से बात कर रही थी इस कारण उसके द्वारा पीडिता को थप्पड मारना बताया। इस प्रकार पीडिता एवं उसकी माता के बयानों में प्रथम बलात्संग की घटना के पश्चात् हुए वार्तालाप के संबंध में गम्भीर तात्विक विरोधाभास है जो कि पीडिता की साक्ष्य

को सन्देहास्प्रद बनाता है।

43. पीडिता ने प्रथम घटना के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी के आधार पर कई बार बलात्संग करना बताया है लेकिन पूर्व विवेचन के अनुसार प्रकरण में किसी प्रकार की पीडिता की नग्नावस्था की फोटो/वीडियो बरामद नहीं हुए है, यहॉ तक कि पीडिता ने विवाह के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा उसे उसके मोबाईल पर अश्लील फोटो/वीडियो भेजना बताया है लेकिन पीडिता द्वारा उक्त अश्लील वीडियो/फोटो अपने मोबाईल पर आने के बावजूद इस संबंध में तत्समय अपने माता–पिता, अपने पति, ससुराल वालों या पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज ना करना पीडिता की सहमति के तथ्य को प्रकट करता है। पीडिता ने अपनी साक्ष्य में विवाह के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आना और उसे मैसेज करना बताया है लेकिन पीडिता द्वारा ऐसा कोई मैसेज पुलिस को दिखाया गया हो या पुलिस द्वारा दौराने अनुसंधान प्रकरण में जब्त किया गया हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से साबित नहीं होता है।

44. पीडिता के दौराने जिरह आए कथनों से यह प्रकट होता है कि पीडिता द्वारा अभियुक्त के फोन को ब्लॉक करने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा पीडिता के पति को कई बार फोन किये गये थे, पीडिता के उक्त कथनों की पुष्टि हेतु पीडिता का पति अभिषेक सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से पीडिता के पति को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है ना ही पीडिता के पति अभिषेक के मोबाईल नम्बरों की कोई कॉल डिटेल पेश की गई है, जिसके अभाव में पीडिता के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

45. पीडिता ने दिनांक 05.03.2021 को ससुराल के परिवार में अचानक दुर्घटना होना और इस बात का पता अभियुक्त को चलने पर अभियुक्त द्वारा उसे ब्लेकमेल करना और उसके फोन पर कई बार कॉल करना और पीडिता से जबरन कॉल करवाना बताया है लेकिन प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पीडिता को कॉल किये जाने के संबंध में कोई कॉल डिटेल या रिकॉर्डिंग अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं की गई है।

46. पीडिता ने अभियुक्त द्वारा उसे लगातार मानसिक तौर पर परेशान करना, गर्भपात का दबाव डालना, पीडिता के पति एवं सास को फोन करने के कारण डिप्रेशन में आकर गर्भपात होना बताया है लेकिन पत्रावली पर पीडिता के गर्भपात

से संबंधित कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही अनुसंधान के दौरान ऐसी कोई साक्ष्य संकलित कर पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है जो आक्षेपों की सम्पुष्टि करती हो।

47. पीडिता के दौराने किये गये कथनों से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ की गई तथाकथित प्रथम बलात्संग की घटना के पश्चात् भी अभियुक्त का पीडिता के घर पर निरन्तर आना–जाना था, पीडिता के विवाह में अभियुक्त एवं उसका परिवार सम्मिलित हुआ था, पीडिता के विवाह में अभियुक्त और उसके परिवार ने स्टेज पर आकर उसके साथ फोटो खिचवाई थी। इस संबंध में अभियुक्त पक्ष की ओर से फोटोग्राफ प्रदर्श डी–2 लगायत डी–6 पेश कर प्रदर्शित करवाई गई है, दौराने जिरह पीडिता ने प्रदर्श डी–2 फोटो स्टेज पर जाने के समय अभियुक्त द्वारा उसे बीच में रोककर अपनी पत्नी के साथ खीचवाना जिसमें स्वयं की सहमति नहीं होने का कथन किया है, प्रदर्श डी–3 फोटो शादी के बाद रस्म करने के लिये आने पर बीरबल के साथ खीचवाना बताया है, प्रदर्श डी–4 और प्रदर्श डी–5 फोटो पीडिता ने अपनी बडी बहिन की शादी के ससुराल की होना जहॉ प्रोग्राम होने के समय मना करने के बावजूद अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को साथ लेकर फोटो खीचवाना बताया है लेकिन पीडिता की शादी के समय जब पीडिता के घरवाले और रिश्तेदार वगै. विवाह आयोजन में सम्मिलित थे, तब अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ जबरन फोटो खीचवाये जाने का कथन प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा प्रदर्श डी–2 से प्रदर्श डी–6 फोटोग्राफ के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त फोटोग्राफ खीचवाते समय पीडिता किसी डर या भय के प्रभाव में हो बल्कि उक्त सभी फोटोग्राफ में पीडिता सामान्य हसमुख मुद्रा में नजर आ रही है। पीडिता द्वारा उक्त फोटोग्राफ खीचवाते समय किसी प्रकार का विरोध किया गया हो या अपने माता–पिता, बहिन, रिश्तेदारों से अभियुक्त की शिकायत की गई हो, ऐसा भी कथन पीडिता का नहीं रहा है।

48. पीडिता के पिता के दौराने जिरह कथन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त पीडिता की शादी के प्रत्येक प्रोग्राम में शामिल हुआ था तथा पीडिता की बिन्दौरी निकाली गई थी, बिन्दौरी के गीतों में बीरबल की पत्नी भी आती थी, पीडिता ने कभी इस बात का ऐतराज नहीं किया कि बीरबल को शादी में क्यों बुलाया जा रहा है, पीडिता ने कभी यह नहीं कहा कि बीरबल को शादी में मत बुलाओ, इस

प्रकार स्वयं पीडिता के पिता के दौराने जिरह आए उक्त कथनों से यह साबित होता है कि पीडिता ने कभी अपने पिता से अपनी विवाह के आयोजनों में अभियुक्त को बुलाने या उसके आने पर अपने पिता से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की थी। यदि अभियुक्त द्वारा पीडिता की सहमति के बिना उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग की घटना कारित की जाती तो निश्चित रूप से उसके पश्चात् हुए अपने विवाह के कार्यक्रमों में पीडिता अपने पिता से अभियुक्त को अपने विवाह कार्यक्रमों में बुलाने से इन्कार करती।

49. पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे कोई सम्पुष्ट कथन विशिष्ठियों को समाहित करते हुए नहीं किए है जो दर्शित करते हो कि वर्ष 2017 के पश्चात् अभियुक्त ने उसके साथ पुनः बलात्संग की कोई घटना कारित की हो। पीड़िता ने बार–बार अभियुक्त द्वारा अश्लील फोटो व वीडियो के आधार पर उस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है, किन्तु उक्त अश्लील फोटो, वीडियो अभियुक्त द्वारा खींचे गये हो या उससे बरामद हुए हो, यह तथ्य पूर्व विवेचन से प्रमाणित नहीं पाया गया है। ऐसे में पीड़िता द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, वह अत्यन्त विलम्ब से वर्ष 2021 में दर्ज करवाई गई है, जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त पीडिता के पिता पीड–5 विनोद कुमार शर्मा के दौराने जिरह आए कथनों से यह प्रकट होता है कि उन्हें दिनांक 24.03.2021 को अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ बलात्संग करने की सम्पूर्ण घटना की जानकारी हो गई थी और 30 तारीख से पहले रिपोर्ट इसलिये नहीं करवाना बताया है कि वह लोग घबरा गये थे, पीडिता के द्वारा फिनाईल पीने के कारण ज्यादा घबराहट हो गयी थी लेकिन पूर्व विवेचन के अनुसार प्रकरण में पीडिता के फिनाईल पीने और इस कारण एसएमएस अस्पताल में भर्ती होकर ईलाज कराने से संबंधित कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद नहीं है, इसलिये पीडिता के पिता का यह कथन कि पीडिता के फिनाईल पीने के कारण 30 तारीख तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सके, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा पीडिता के पिता ने दिनांक 30.03.2021 को मारोठ से जयपुर आ जाना और दिनांक 31.03.2021 व 01.04.2021 को घर पर रहना, थाने नहीं जाने का तथ्य स्वीकार किया है तथा पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में एफआईआर दिनांक 02.04.2021 को दर्ज करवाये जाने का तथ्य प्रकट होता है। इस प्रकार जब पीडिता को पिता को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी दिनांक 24.03.2021 को हो गई

थी तब प्रकरण की एफआईआर लगभग 9 दिन के विलम्ब से दर्ज करवाये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकट नहीं किया गया है जो कि अभियोजन पक्ष के लिये घातक है।

50. पीडिता ने सशपथ बयानों में 5 मार्च से लेकर 21 मार्च तक उसे तीन आदमियों के द्वारा पुराजोर ब्लेकमेल करना और वीडियो भेजने की स्पष्ट चेतावनी देना बताया है लेकिन सर्वप्रथम यहॉ यह कहना उचित होगा कि पीडिता द्वारा एफआईआर एवं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानो में इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किये गये हैं और सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष तीन आदमियों द्वारा उसे ब्लेकमेल किये जाने बाबत् कथन किये है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त तीन आदमी कौन थे और उनके द्वारा किस प्रकार से पीडिता को ब्लेकमेल किया गया। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी एवं स्वयं पीडिता के माता–पिता ने पीडिता को तीन आदमियों के द्वारा ब्लेकमेल किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

51. पीडिता ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 05.03.2021 को उसके ससुराल के परिवार में अचानक दुर्घटना घटी जिस बात का पता बीरबल शर्मा को उसके पीहर से पता चला और इस बात का फायदा उठाते हुए उसने पीडिता को पुरजोर ब्लेकमेल किया किन्तु पीडिता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट एव सशपथ बयानों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके ससुराल में किस प्रकार की दुर्घटना हुई एवं उस दुर्घटना के कारण किस प्रकार अभियुक्त को पीडिता को ब्लेकमेल करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे में यह स्वीकार्य नहीं है कि पीडिता के ससुराल में हुई किसी दुर्घटना के कारण अभियुक्त को उसे पुरजोर ब्लेकमेल करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ हो और उसके अनुसरण में अभियुक्त ने पीडिता के साथ ब्लेकमेलिंग की हो।

52. पीडिता ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त पर यह भी आक्षेप लगाया है कि अभियुक्त द्वारा स्वयं और तीन आदमी भेजकर ब्लेकमेल करने के कारण परेशान होकर उसके द्वारा दिनांक 22.03.2021 को ससुराल के घर में रखी फिनाईल की बोतल पी ली थी जिससे वह बेहोश हो गई, तब उसे एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहॉ पर उसके मम्मी–पापा, पति, सास–ससुर सभी लोग मौजूद थे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जो पीडिता के इन आक्षेपों की सम्पुष्टि करती हो बल्कि अनुसंधान अधिकारी पीड–11

राजेश ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने एस.एम.एस. से पीडिता द्वारा फिनाईल पीने पर भर्ती होने व डिस्चार्ज होने का कोई रिकॉर्ड नहीं लिया था। उसकी तफ्तीश में पीडिता के फिनाईल पीने व भर्ती होने का तथ्य नहीं पाया गया था। अस्पताल के रिकॉर्ड के अतिरिक्त पीडिता तत्समय अपने पति, सास, ससुर की मौजूदगी अस्पताल में होना बताती है ऐसे में उक्त गवाहान प्रकरण में अधिरोपित आक्षेपों की सम्पुष्टि हेतु सर्वोत्तम साक्षी हो सकते थे लेकिन ऐसा कोई गवाह अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है।

53. अभियोजन साक्ष्य और आरोपित अपराधों के संबंध में किये गये सम्पूर्ण विवेचन–विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि पीड़िता द्वारा आक्षेपित अपराधों का जो घटनाक्रम बताया गया है, उसमें अधिकांश तथ्य अभियोजन प्रमाणित नहीं कर पाया है। अपराध की तात्विक विशिष्ठियों के संबंध में पीड़िता की प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान, मुख्य परीक्षण व जिरह में तात्विक सुधार एवं विरोधाभास दर्शित होता है, अन्य गवाहान की साक्ष्य से भी अपराध की तात्विक विशिष्ठियों की सम्पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में पीड़िता के आक्षेपकारी कथनों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता एवं प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता के कथन न्यायालय का विश्वास अर्जित किए जाने योग्य नहीं होने के कारण ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के आपराधिक दायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष :–

54. अभियोजन साक्ष्य के उपर किये गये समग्र विवेचन से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सन्देह से परे यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि :–

(ए) अभियुक्त ने पीडिता की स्वतंत्र सहमति व उसकी इच्छा के बिना उससे जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग किया एवं बलात्संग के दौरान पीडिता की अश्लील फोटो / वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पुनः कई बार जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग के अपराध की पुनरावृत्ति की।

55. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार अभियुक्त को धारा 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(आशुतोष कुमावत)

-:: आदेश ::-

56. अभियुक्त बीरबल शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा, निवासी–मकान नं. 06, राधा विहार, निवारू लिंक रोड, थाना करधनी, जयपुर को धारा 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए पच्चीस हजार रूपये की प्रतिभू सहित समान राशि के जमानत बन्धपत्र निर्णय के पूर्व पेश किए गये, जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

57. राज्य–सरकार के द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 बनाई गई है, इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत आवश्यक संशोधन किये जाकर 357 क, ख, ग जोडी गई, जिसका सार यह है कि यदि किसी आपराधिक घटना के परिणामस्वरूप पीडित व्यक्ति को कोई शारीरिक या साम्पतिक क्षति कारित हुई है तो उसकी पूर्ति नियमानुसार की जायेगी। हस्तगत प्रकरण में स्वयं पीडिता ने खण्डनीय साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध करवाई है। चूंकि पीडिता की साक्ष्य खण्डनीय होने से उसके विरूद्ध घटना होना नहीं पाया जाता है। अतः धारा 357ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् पीडिता को प्रतिकर दिलाया जाना विधि अनुसार व न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

(आशुतोष कुमावत)

58. निर्णय व आदेश आज दिनांक 01.11.2025 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आशुतोष कुमावत)